1

मनसुखलाल विरूद्ध मुख्य नगरपालिका अधिकारी

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक –अपील 638 –दो / 14 जिला – नीमच

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13.3.15	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया । यह अपील म0प्र0 लोक परिसर बेदखली अधिनियम, 1974 के अंतर्गत आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–10–13 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 24.2.15 को पेश की गई है । म0प्र0 लोक परिसार बेदखली अधिनियम के तहत प्रकरणों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व मंडल को नहीं है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह बताने में असमर्थ रहे कि उक्त अधिनियम के तहत सुनवाई का अधिकार इस न्यायालय को है । अतः क्षेत्राधिकार न होने से यह अपील अग्राह्य की जाती है । सदस्य	

मानननीय न्यायालय म.प्र. राजस्व मंडल ग्वालियर केंप उज्जैन

R 638-IV/15

प्रकरण क्रं0 ____ / 2015 अपील

मनसुखलाल ब्रजलाल मृतक धारक रामसहाय आत्मज ब्रजलाल निवासी– ग्वालटोली, नीमच. ....अपीलांट

विरूद्ध

मुख्य नगर पालिका ......रेस्पाडेंट

अपील अंतर्गत धारा 9 म0प्र0 लोक परिसर बेदखली अधिनियम 1974

न्यायालय आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा प्रकरण क्रमांक 87/अपील/12–13 में दिनांक 28.10.2013 को जो आदेश पारित किया हैं उससे असंतुष्ट होकर

माननीय महोदय,

अपीलांट की ओर से निम्नलिखित अपील माननीय न्यायालय में सादर प्रस्तुत हैं :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–

01 यह कि, रेस्पाडेंट द्वारा इस आशय का सूचना आवेदन अनुविभागीय अधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी, लोक परिसर बेदखली, नीमच के समक्ष प्रस्तुत किया कि अपीलांट के द्वारा नगर पालिका, नीमच के स्वामित्व के खेत क्रमांक 24 जिसमें खेत क्रमांक 30 सम्मिलित हैं जिसका क्षेत्रफल 9 एकड़ 3191 वर्गगज पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर उसने आधिपत्य ले रखा हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि वर्ष 1957–58 में वार्षिक लीजरेंट रू.81/– पर कृषि कार्य हेतु नीलामी में दी गई थी, जो अंतिम बार वर्ष 1973–74 तक दी गई हैं। पूर्व में भी प्रशासन द्वारा संकल्प पारित कर दिनांक 31.1.1994 को उक्त भूमि वापस आधिपत्य में लिये जाने का निर्णय लिया गया था जिसकी सूचना अपीलांट को 20.021995 को दी गई किन्तु अपीलांट द्वारा उक्त निर्णय का पालन नही किया गया। अतः प्रश्नाधीन भूमि का नगर पालिका को वापस कब्जा दिलाए जाने तथा हर्जा इस्तेमाल की राशि रूपये 1.870/– ब्याज सहित रेस्पाडेंट संस्था को दिलाये जाने का निवेदन किया गया। उक्त आवेदन के अनुंक्रम में अनुविभागीय अधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी, लोक परिसर बेदखली, नीमच द्वारा आदेश दिनांक 12.03.2013 से अपीलांट द्वारा अनाधिकृत रूप से प्रश्नाधीन भूमि पर किये गये कब्जे को दिनांक 20.03.2013 तक खाली करने का आदेश पारित किया गया । साथ ही दिनांक 03.11.1999 से कब्जा देने की दिनांक तक वार्षिक लीज रूपये 81/– के मान